



भारत का संविधान

(THE CONSTITUTION OF INDIA)

672





लेखक

विद्याधर महाजन,
एम० ए० (आनर्ज) पी-एच० डी०
भूतपूर्व प्राध्यापक, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज,
नई दिल्ली

१९६६

एस० चन्द एराड कम्पनी

दिल्ली : नई दिल्ली : जालन्धर : लखनऊ
बम्बई : कलकत्ता : मद्रास : हैदराबाद

विषय-सूची

	पृष्ठ
अध्याय १. संविधान का विकास	१-१६
अध्याय २. संविधान के स्रोत तथा विशेषताएँ	२०-५६
(क) भारतीय संविधान के मूल स्रोत (२०-२४) (ख) संविधान की विशेषताएँ (२४-५४) (ग) नए संविधान तथा भारत शासन अधिनियम, १९३५ की तुलना (५४-७)	
अध्याय ३. मूल अधिकार और निदेशक तत्त्व	६०-१०२
(क) मूल अधिकारों की विशेषताएँ (६०-४) (ख) <u>समानता का अधिकार</u> (६४-६) (ग) <u>भेद-भाव न होना</u> (६६) (घ) <u>अवसर की समानता</u> (६७) (ङ) <u>अस्पृश्यता का अन्त</u> (६८) (च) <u>उपाधियों की समाप्ति</u> (७०) (छ) <u>भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता</u> (७०-४) (ज) <u>कानूनी रक्षण</u> (७४-५) (झ) <u>प्राण और देहिक स्वाधीनता का संरक्षण</u> (७५-७) (ञ) <u>व्यक्तिगत स्वतन्त्रता</u> (७७-८२) (ट) <u>शोषण के विरुद्ध अधिकार</u> (८२-३) (ठ) <u>धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार</u> (८३-४) (ड) <u>संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार</u> (८४-५) (ढ) <u>सम्पत्ति का अधिकार</u> (८५-८) (ण) <u>संवैधानिक उपचारों का अधिकार</u> (८८-९) (त) <u>लेख (Writs)</u> (८९-९१) (थ) <u>मूल अधिकारों पर विचारधाराएँ</u> (९२-३) (द) <u>भारत और अमरीका में मूल अधिकारों की तुलना</u> (९३-४) (ध) <u>राज्यनीति के निदेशक तत्त्व</u> (९४-६) (न) <u>मौलिक अधिकार तथा निदेशक तत्त्वों में अन्तर</u> (९६-९७) (प) <u>आलोचना</u> (९७-१०१) ।	
अध्याय ४. भारत का राष्ट्रपति	१०३-१२६
(क) राष्ट्रपति का चुनाव (१०३-१०७) (ख) राष्ट्रपति का हटाया जाना (१०७-१०८) (ग) राष्ट्रपति की योग्यताएँ (१०८-१०९) (घ) राष्ट्रपति की पदावधि (१०९) (ङ) न्यायिक शक्तियाँ (१०९) (च) विधायिनी शक्तियाँ (१०९-११२) (छ) वित्तीय शक्तियाँ (११३) (ज) कार्यपालिका शक्तियाँ (११३-११५) (झ) सैनिक शक्तियाँ (११५-११६)	

(अ) राजनयिक शक्तियाँ (११६) (ब) राष्ट्रपति की संकट-कालीन शक्तियाँ (११६-१२०) (क) राष्ट्रपति की स्थिति (१२०-१२३) (ख) अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना (१२४-१२५) (ग) भारत का उप-राष्ट्रपति (१२५-१२६)।

१२७-१३६

अध्याय ५. प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिमण्डल

(क) संघीय मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति (१२७-१२८) (ख) मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व की विशेषताएँ (१२८) (ग) धारा सभा के प्रति जिम्मेदारी (१२८-१३०) (घ) संघीय मन्त्रिमण्डल की स्थिति (१३०-१३४) (ङ) भारत का प्रधान मन्त्री (१३४-१३६)।

१३७-१७१

अध्याय ६. भारतीय संसद्

(क) राज्य सभा (१३७-१४१) (ख) लोक-सभा (१४१-१४३) (ग) लोक सभा की शक्तियाँ और कार्य (१४३-१४५) (घ) अध्यक्ष (Speaker) (१४५) (ङ) अध्यक्ष की शक्तियाँ (१४५-१४८) (च) संसद् के दोनों सदनों का सम्बन्ध (१४८-१५२) (छ) संसद् की शक्तियाँ (१५२-१५७) (ज) विधायी विधि (१५७-१५८) (झ) प्रथम वाचन (१५८) (ञ) द्वितीय वाचन (१५८) (ट) समिति स्थिति (१५८-१५९) (ड) प्रतिवेदन स्थिति (१५९) (ड) तृतीय वाचन (१५९-१६०) (ढ) कमेटी व्यवस्था (१६०-१६४) (ण) धन विधेयक (Money Bills) (१६४-१६५) (त) अध्यादेश (Ordinances) (१६५-१६६) (थ) वित्तीय विधि (Financial Procedure) (१६६-१६८) (द) भारत में संसदीय गणतन्त्र (१६८-१७१)।

१७२-१९२

अध्याय ७. भारत का सर्वोच्च न्यायालय

(क) सर्वोच्च न्यायालय का संगठन (१७२-१७५) (ख) सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ (१७५-१७६) (ग) आरम्भिक क्षेत्राधिकार (१७६-१७७) (घ) अनुच्छेद ३२ और २२६ (१७८-१७९) (ङ) अपीलीय क्षेत्राधिकार (१७९) (च) संवैधानिक अभियोग (१७९) (छ) दीवानी अभियोग (१८०) (ज) फौजदारी अभियोग (१८०-१८१) (झ) परामर्शदायी क्षेत्राधिकार (१८१-१८४) (ञ) अपील की विशेष आज्ञा देने की शक्ति (१८४-१८५) (ट) पुनरवलोकन की शक्ति (१८५) (ड)

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि (१८५) (ड) विविध व्यवस्थाएँ (१८५-१८८) (ङ) भारतीय और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों की तुलना (१८८-१९०) (ण) सर्वोच्च न्यायालय की कार्य-प्रणाली (१९०-१९२)।

१९३-२०३

अध्याय ८. संघ तथा राज्यों में सम्बन्ध

(क) कानूनी सम्बन्ध (१९३-१९५) (ख) प्रशासन सम्बन्ध (१९५-१९७) (ग) आर्थिक सम्बन्ध (१९७-२००) (घ) आलोचना (२००-२०३) (ङ) भूगड़ों का निपटारा (२०३)।

२०४-२१९

अध्याय ९. राज्यपाल तथा उसके मन्त्री

(क) राज्यपाल (२०४-२०५) (ख) न्यायिक शक्तियाँ (२०५-२०६) (ग) कार्यपालिका शक्तियाँ (२०६-२०७) (घ) विधायिनी शक्तियाँ (२०७-२०८) (ङ) राज्यपालों की स्थिति (२०८-२१५) (च) राज्य-मन्त्रियों की स्थिति (२१५-२१६) (छ) मुख्य मन्त्री की स्थिति (२१६-२१७) (ज) राज्यपाल और मन्त्री (२१७-२१८) (झ) मन्त्री तथा विधानमण्डल (२१८-२१९) (ञ) राज्य महाधिवक्ता (२१९)।

२२०-२३२

अध्याय १०. राज्य विधानमण्डल

(क) बनावट (२२०-२२२) (ख) अवधि (२२२-२२३) (ग) राज्य के विधानमण्डल के पदाधिकारी (२२३-२२४) (घ) सदस्यों की अयोग्यताएँ (२२४) (ङ) विधानमण्डल के सदस्यों के विशेषाधिकार (२२४-२२५) (च) विधायी विधि (२२५-२२६) (छ) राज्य विधान-परिषद् की स्थिति (२२६-२२७) (ज) राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ (२२७-२२८) (झ) राज्यों के दूसरे सदन की समस्या (२२८-२३०) (ञ) प्रादेशिक कमेटियाँ (Regional Committees) (२३०-२३२)।

२३३-२४१

अध्याय ११. राज्य न्यायपालिका

(क) उच्च न्यायालय (२३३-२३५) (ख) हाई कोर्ट के अधिकार (२३५-२३६) (ग) जिला जज (२३६) (घ) उच्च न्यायालयों का नियन्त्रण (२३६-२४१)।

अध्याय १२. राज्यों का पुनर्गठन

- (क) १९४७ से पूर्व राज्यों की अवस्था (२४२-२४५) (ख) राज्यों का प्रवेशन (२४५-२४७) (ग) जूनागढ़ (२४७) (घ) हैदराबाद (२४७-२४८) (ङ) कश्मीर (२४८) (च) राज्यों का समेकन तथा लोकतन्त्र (२४८-२५१) (छ) राज्य पुनर्गठन आयोग (२५१-२५४) (ज) राज्य पुनर्गठन अधिनियम (२५४-२५६) (झ) संघीय क्षेत्र (Union Territories) (२५६-६०) (ञ) महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा-विवाद (२६०-२६१) (ट) राज्यों को पुनर्गठित करने का आधार (२६१-२६४) ।

अध्याय १३. सार्वजनिक सेवाएँ

- (क) सार्वजनिक सेवाओं का स्थान (२६५-८) (ख) लोक सेवा आयोग (२६६-२७१) (ग) लोक सेवा आयोगों के कार्य (२७१-२७८) ।

अध्याय १४. विविध प्रकरण

- (क) वित्त आयोग (Finance Commission) (२८०) (ख) भारत की राज्य भाषा (२८१-२८४) (ग) चुनाव आयोग (२८४) (घ) भारत का महान्यायवादी (२८४-२८५) (ङ) नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (२८५-२८६) (च) संचित तथा आकस्मिक निधियाँ (२८७) (छ) अन्तर्राज्य परिषद् (२८७) (ज) परिगणित जाति आयोग या 'पिछड़ी जातियों का कमीशन' (२८७-२८८) ।

अध्याय १५. भारतवर्ष और राष्ट्रमण्डल

अध्याय १६. भारतीय संविधान की आलोचना

अध्याय १७. भारत में राजनैतिक दल

- (क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (३०६-३१२) (ख) भारत का साम्यवादी दल (३१२-३१४) (ग) स्वतन्त्र पार्टी (३१४-३१५) (घ) हिन्दू महासभा (३१५-३१६) (ङ) भारतीय जनसंघ (३१६-३१७) (च) प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी (३१७-३१८) (छ) चुनाव (३१८-३२१) ।